न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 16/2026

मोहम्मद शाहबाज हुसैन (एडवोकेट) निवासी जिला न्यायालय परिसर टोंक राज.

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ. शाखा, कलेक्ट्रेट टोंक —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **09.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 26.11.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 1135 दिनाक 26.11.2025 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ. शाखा, कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट भू.अ. टोंक पत्रांक 3559 दिनांक 22.09.2020 (पत्रांक 1842 दिनांक 30.03.2020) की पालना मे तहसीलदार भू.अ. टोंक द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना एक—एक प्रति में उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ. शाखा, कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 196 दिनांक 5.02.2026, 384 दिनांक 26.02.2026, 467 दिनांक 10.03.2026 व 546 दिनांक 23.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ. शाखा, कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 1689 दिनांक 27.03.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 7202 दिनांक 11.12.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए कमांक 7203—04 दिनांक 11.12.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 656 दिनांक 01.04.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने पत्र कमांक 2295 दिनांक 25.03.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां में पत्रावली का स्पष्ट विवरण नही होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है इस संबंध में उनके पत्र कमांक 2292 दिनांक 29.03.2026 से अपीलाण्ट को सूचित किया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक